

प्रश्न सं. [ क. 1102 ]

18

परिशिष्ट

सदन में उत्तर देने का दिनांक - 04/06/2024

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1102

माननीय विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर अंतर्गत सिवनी जिले में बिलिंग माह अप्रैल, 2024 की स्थिति में प्रश्नाधीन श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर विद्युत बिल की बकाया राशि एवं उसे वसूलने हेतु की जा रही कार्यवाही का विवरण -

- (i) कृषि श्रेणी के 37735 विद्युत उपभोक्ताओं पर कुल रू. 219.11 लाख राशि बकाया है तथा बकाया राशि वसूलने के लिये किसी भी कृषक पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चल रहा है।
- (ii) शासकीय विभागों पर कुल बकाया राशि 294.99 लाख रुपये है तथा शासकीय विभागों से बकाया राशि वसूलने हेतु सतत् संपर्क कर, विद्युत कनेक्शनों की बकाया राशि जमा कराने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।
- (iii) औद्योगिक श्रेणी के 996 उपभोक्ताओं पर बकाया राशि 147.14 लाख रुपये है। बकाया राशि वसूली हेतु एस.एम.एस., पत्राचार, व्यक्तिगत संपर्क कर प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु राशि जमा नहीं होने पर नियमानुसार बकायादारों के कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही की जा रही है एवं जिन बकायादारों द्वारा विद्युत कनेक्शन विच्छेद किये जाने के उपरांत भी बकाया राशि जमा नहीं की जा रही है, उनके विरुद्ध इयूज रिकवरी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।

अनुभाग अधिकारी  
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन  
भोपाल